



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022023-243801
CG-DL-E-23022023-243801

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 782]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2023/फाल्गुन 3, 1944

No. 782]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2023/PHALGUNA 3, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली 16 फरवरी, 2023

का.आ. 815(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन(भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 02 अगस्त 2021 में पृष्ठ सं० 2 से 4 तक (हिन्दी संस्करण में) एवं पृष्ठ सं० 4 से 6 तक (अंग्रेजी संस्करण में) पर प्रकाशित सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. 3134 (अ) तारीख 02.08.2021 में, जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 2908, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 04.08.2021 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में:-

अनुसूची

पेज नं. 2 से 4 तक (हिंदी संस्करण में) और पेज नं. 4 से 6 तक (अंग्रेजी संस्करण में)

प्रकाशित किया गया है।			पढा जाएँ।		
गाँव का नाम	तालुका	जिला	गाँव का नाम	तालुका	जिला
84. वलुवूर	कुत्तालम	नागप्पट्टिनम	20. वलुवूर	कुत्तालम	मयिलाडुतुरै
48. वानदिराजबुरम			3. वानदिराजबुरम		

अधिसूचना का शेष विषय अपरिवर्तित रहेगा।

[फा. सं. एल -14014/51/2021-जीपी-II (ई-45772)]

एम. आर. नाजमी, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**ERRATUM**

New Delhi, the 16th February, 2023

S.O. 815(E).—In exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas of S.O. 3134(E) dated the 02.08.2021, published from page no. 2 to 4 (in Hindi Version) and from page no. 4 to 6 (in English Version) in Part- II, Section 3, Sub section (ii) of the Extra Ordinary Gazette of India No. 2908 dated 04.08.2021.

In the schedule to the said notification:-

SCHEDULE

From page no. 2 to 4 (in Hindi Version) and from page no. 4 to 6 (in English Version)

Published as			To be read as		
Name of the Village	Taluk	District	Name of the Village	Taluk	District
84. Vazhuvoor	Kuthalam	Nagapattinam	20. Vazhuvoor	Kuthalam	Mayiladuthurai
48. Vanathirajapuram			3. Vanathirajapuram		

The other contents of the notification remain unaltered.

[F. No. L-14014/51/2021-GP-II (E-45772)]

M. R. NAZMI, Under Secy.